

AAE - 3 (H)

पुस्तिका कोड-31

सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) अनुपूरक परीक्षा, 2018

नवम्बर, 2018

लेखा कार्यविधि (पुस्तकों सहित)

समय : 2 घंटे

अधिकतम अंक : 65

अनुमत पुस्तकें :

1. केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति एवं संदाय) नियम, 1983
2. केन्द्रीय खजाना नियमावली भाग-1
3. सिविल लेखा नियमपुस्तिका (संशोधित प्रथम संस्करण)
4. सरकारी लेखाकरण नियम, 1990
5. संघ और राज्यों की मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची
6. केन्द्रीय सरकार (सिविल) पेंशनभोगियों को प्राधिकृत बैंकों द्वारा पेंशन की अदायगी संबंधी स्कीम

उपलब्ध कराए जाने वाले फार्म:

- (i) विनियोग लेखे का प्रारूप (ii) सीएएम - 33

टिप्पणियां :

- (1) इस प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न और 4 पृष्ठ हैं।
- (2) प्रश्न संख्या 1 और 2 अनिवार्य हैं और शेष में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दें।
- (3) अंक प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए हैं।
- (4) परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नों के स्पष्ट और सटीक उत्तर दें और नियमों के संबंधित प्रावधानों (जहां लागू हो) का उल्लेख करें। ऐसा न करने पर कुछ अंक काटे जाएंगे।
- (5) परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका में दिए गए स्थान पर इस प्रश्न पत्र के पुस्तिका की कोड संख्या लिखनी चाहिए।
- (6) उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ में दी गई सारणी में उत्तर पुस्तिका के उन पृष्ठ संख्या का उल्लेख कीजिए जिसमें प्रत्येक प्रश्न अथवा उनके भाग का उत्तर दिया गया हो।
- (7) प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग-अलग प्रकार के पेन/स्याही का प्रयोग न करें। ऐसा करने पर उत्तर पुस्तिका अमान्य हो जाएगी।
- (8) उत्तर पुस्तिका में छोड़े गए किसी भी/सभी खाली जगहों को या खाली पन्नों को रेखा खींचकर काट दीजिए।
- (9) हिन्दी और अंग्रेजी पाठ में कोई अंतर होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को सही माना जाएगा।
- (10) इस प्रश्न पत्र के साथ प्रदान किए गए फॉर्मों को उत्तर पुस्तिका के साथ अवश्य संलग्न करके वापस करें।

1. अगस्त, 2018 में वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में निम्नलिखित लेनदेन हुआ :

दिनांक	विवरण	राशि ₹ में
2.8.18	एलटीसी दावा चेक सं.बी.092262 द्वारा अदा किया गया	4,000
3.8.18	चेक सं.ए.003256 के माध्यम से यात्रा भत्ता (स्थानांतरण पर)	8,500
6.8.18	चेक सं.ए.003257 द्वारा जीपीएफ से अस्थायी अग्रिम	20,100
10.8.18	चेक सं.ए.003258 जो 31.8.18 से पहले देय नहीं द्वारा सेवानिवृत्ति पर देय राशि	
	(i) उपदान	1,10,000
	(ii) संराशीकरण	2,20,000
		3,30,000
14.8.18	एनडीएमसी में प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारी के संबंध में छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान के लिए 2.8.18 का डिमान्ड ड्रॉफ्ट (DD)	3,500
16.8.18	डीडीओ (DDO) से चेक सं.ए.003257 वापस मिला एवं रद्द किया गया	
21.8.18	निम्नलिखित लेन देनों के बारे में प्रधान लेखा कार्यालय से सूचना प्राप्त किया :	
	(i) जम्मू कश्मीर को सहायता अनुदान का भुगतान	5,00,000

(ii)	राजस्थान राज्य सरकार को ऋण का भुगतान	3,00,000
(iii)	एडवाइस (Advice) के संबंध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया से प्राप्त किया गया समासोधन ज्ञापन	9,00,000
31.8.18	निम्नलिखित वितरण के अनुसार चेक सं.092263 के द्वारा वेतन भुगतान सकल वेतन	12,50,000
	कटौतियां	
(i)	जीपीएफ	95,000
(ii)	पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश संवर्गों से एआईएस अधिकारियों के जीपीएफ। जीपीएफ खाता संबंधित राज्यों द्वारा बनाया रखता है	80,000
(iii)	आय कर	23,000
(iv)	लाइसेंस शुल्क	9,500
(v)	सीजीइजीआईएस	8,200
(vi)	एमसीए पुनर्अदायगी	10,000
(vii)	एचबीए पुनर्अदायगी	1,10,000
(viii)	एचबीए पर ब्याज	15,000
(ix)	सीजीएचएस अंशदान	1,500

पीएओ निम्नलिखित स्कॉल प्राधिकृत बैंक से प्राप्त किया

भुगतान स्कॉल दि.	बैंकों द्वारा नकदीकरण किये गये चेकों का विवरण	राशि ₹ में
3.8.18	बी.092262	4,000
6.8.18	ए.003256	8,500
14.8.18	ए.003255 दिनांक 30.7.18	50,000
31.8.18	वेतन चेक सं. बी.092263	8,97,800
प्राप्ति स्कॉल		
24.8.18	दिनांक 2.8.18 का डिमान्ड ड्रॉफ्ट 17.8.18 को जमा किया गया	3,500

(क) उपर्युक्त लेन देनों को फॉर्म सीएएम-33 में संकलित करें (वेतन, टीए, ओ.इ. इत्यादि को विस्तृत शीर्षों तक और अन्य लेनदेनों का लघु शीर्ष स्तर तक वर्गीकरण करके)

(ख) आवश्यक टीइ (T.Es) भी तैयार करें (18 अंक)

2. अनुदान संख्या 34 व्यय विभाग के बारे में, वर्ष 2017-18 के लिए, निम्नलिखित ब्यौरा दिया गया है :

क. अनुदान मांग के तहत मूल बजट प्रावधान		(₹ हजार में)
2052-00-090-10	स्वीकृत	30,60,00
2070-00-003-08	स्वीकृत	80,00
2070-00-003-09	स्वीकृत	1,60,00

2070-02-105-13	स्वीकृत	00
4070-00-003-02	स्वीकृत	2,70,00
4216-01-112-01	स्वीकृत	1,00,00

ख. वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त किया गया पूरक मांग नीचे दिया गया है :

(₹ हजार में)

2070-02-105-13	स्वीकृत	1,00
----------------	---------	------

ग. वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किए गए पुनर्विनियोग आदेश निम्न प्रकार हैं :

शीर्ष	से	(₹ हजार में) को
2052-00-090-10	1,06,00	
2070-00-003-08		24,00
2070-00-003-09		22,00
2070-02-105-13		60,00

घ. विभाग ने निम्नलिखित राशि को 1.4.2018 को अभ्यर्पित कर दिया। हालाँकि, बचतों के अभ्यर्पण को स्वीकार करके लेखा परीक्षा आदेश वित्त मंत्रालय से जारी नहीं किया गया था।

	(₹ हजार में)
2052-00-090-10	2,50,00
4216-01-112-01	1,00,00

ङ. 2017-18 के लेखे में दर्ज किया गया व्यय नीचे दर्शाया गया है :

	(₹ हजार में)
2052-00-090-10	18,10,00
2070-00-003-08	99,00
2070-00-003-09	1,60,00
2070-02-105-13	61,00
4070-00-003-02	1,98,00

व्यय विभाग के लिए शीर्षवार विनियोग लेखा तैयार करें। (17 अंक)

3. (i) पेंशन मामलों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया की व्याख्या करें। (6 अंक)

(ii) पेंशन मामलों में सीपीएओ (CPAO) द्वारा किन-किन पश्च-भुगतान जांच किया जाता है (4 अंक)

4. निम्नलिखित लेनदेनों का वर्गीकरण करो (लघु शीर्ष स्तर तक) : (5x2=10 अंक)

(i) WHO - GMP स्कीम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त शुल्क।

(ii) बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सरकारी आवास का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार।

- (iii) अर्थोपाय अग्रिम पर प्राप्त ब्याज।
- (iv) भारतीय जीवन बीमा निगम से लाभों का हिस्सा।
- (v) U.S. काउन्टर पार्ट निधियों का जमा का निवेश।

5. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें : (2x5=10 अंक)

- (i) समानुदेशन खाता के तहत साख पत्र।
- (ii) आकस्मिक प्रभार के प्रकार।
- (iii) व्ययगत जमा

6. (i) निम्नलिखित लेनदेनों के वर्गीकरण एवं लेखांकन के मानदंड की व्याख्या करें :

- (क) लेखा के एक से अधिक मुख्य शीर्षों से संबंधित, एक उदाहरण के साथ।
- (ख) अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित।
- (ग) अधिक भुगतान की वसूली

(2+1+1=4 अंक)

(ii) संक्षेप में लिखें :

(2x3=6 अंक)

- (क) प्रोफॉर्मा अकाउंट
- (ख) जरनल एवं लेज़र

7. कृपया व्याख्या करें -

(3+3+4=10 अंक)

- (i) रिजर्व फंड से किये गए व्यय के लेखांकन के प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत।
- (ii) रिजर्व फंड पर लागू लेखांकन की विधि।
- (iii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों पर पीएओ (PAOs) द्वारा किए जाने वाली जांच।

AAE – 3 (E)

Booklet Code-31

ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER (CIVIL) SUPPLEMENTARY EXAMINATION, 2018

NOVEMBER, 2018

ACCOUNTING PROCEDURE (With Books)

Time Allowed : 2 Hours

Maximum Marks : 65

Books allowed :

1. Central Government Accounts (Receipts and Payments) Rules, 1983.
2. Central Treasury Rules Vol.I.
3. Civil Accounts Manual (Revised First Edition)
4. Government Accounting Rules, 1990.
5. List of Major and Minor Heads of Accounts of Union and States.
6. Scheme for payment of Pensions to Central Govt. (Civil) Pensioners by Authorised Banks.

Forms to be supplied:

- (i) Format of Appropriation Accounts (ii) CAM - 33

- Note:** 1. This question paper contains 4 pages and has 7 questions.
 2. Answer question nos. 1 and 2 which are **compulsory** and **any three** of the rest.
 3. Marks are indicated against each question.
 4. The candidates would be expected to answer in a clear and cogent manner. The examinee has to quote the authority in support of the answers (wherever applicable) failing which some marks will be deducted.
 5. Candidates should write the Booklet Code No. of this question paper on their answersheet in the space provided.
 6. In the table provided on the front cover page of the answer book, indicate the page number of the answer book where answer to each question or part thereof is written.
 7. **Do not use different pens/ink for answering questions. Doing so may render the answer script invalid.**
 8. Strike off all blank pages/space in the answer books.
 9. In case of variation between English & Hindi versions, English version will be treated as correct.
 10. The forms supplied to the candidates should invariably be attached with the answer scripts without failure.

1. The following transactions took place in the Pay & Accounts Office (Sectt.), MHA, New Delhi in August, 2018:

Date	Particulars	Amount in ₹
2.8.18	Paid LTC claim vide cheque no.B.092262	4,000
3.8.18	Transfer T.A. through cheque no.A.003256	8,500
6.8.18	Temporary advance of GPF vide cheque no.A.003257	20,100
10.8.18	Cheque No.A.003258 towards retirement dues not payable before 31.8.18	
	(i) Gratuity 1,10,000	
	(ii) Commutation 2,20,000	3,30,000
14.8.18	DD dated 2.8.18 towards leave salary and pension contribution from NDMC in respect of an officer on deputation with them	3,500

16.8.18	Cheque No.A.003257 received back from DDO and cancelled	
21.8.18	Received from Pr. AO information of the following transactions:	
	(i) Payment of Grants-in-aid to J & K	5,00,000
	(ii) Payment of Loan to State Govt. of Rajasthan	3,00,000
	(iii) Clearance memo received from RBI in respect of advice	9,00,000
31.8.18	Paid salary vide cheque no.B.092263 as per details given below :	
	Gross salary	12,50,000
	Deductions	
	(i) G.P.F.	95,000
	(ii) GPF in respect of AIS Officers from West Bengal and Uttar Pradesh cadres. The GPF A/cs are maintained by respective States.	80,000
	(iii) Income Tax	23,000
	(iv) License Fee	9,500
	(v) CGEGIS	8,200
	(vi) MCA repayment	10,000
	(vii) HBA repayment	1,10,000
	(viii) Interest on HBA	15,000
	(ix) CGHS contribution	1,500

The PAO received the following scrolls from its authorised bank:

Payment Scroll Date	Particulars of cheques encashed by Bank	Amount in ₹
3.8.18	B.092262	4,000
6.8.18	A.003256	8,500
14.8.18	A.003255 dated 30.7.18	50,000
31.8.18	Salary cheque no.B.092263	8,97,800
Receipt Scroll		
24.8.18	DD dated 2.8.18 deposited on 17.8.18	3,500

(a) Compile the above transactions in Form CAM-33 including classification upto detailed heads in respect of salaries, TA, O.E. etc. and upto Minor Head level in respect of other transactions.

(b) Necessary T.Es may also be prepared.

[18 marks]

2. In respect of Grant No.34 - Department of Expenditure, for the year 2017-18, the following details are given:

A. Original Budget provision as per Demand for Grant		(₹ in thousand)
2052-00-090-10	Voted	30,60,00
2070-00-003-08	Voted	80,00
2070-00-003-09	Voted	1,60,00
2070-02-105-13	Voted	00
4070-00-003-02	Voted	2,70,00
4216-01-112-01	Voted	1,00,00

B. Supplementary Demand obtained during the year 2017-18 is as below :

2070-02-105-13	Voted	(₹ in thousand) 1,00
----------------	-------	--------------------------

C. Reappropriation orders issued during 2017-18 were as under :

		(₹ in thousand)
Head	From	To
2052-00-090-10	1,06,00	
2070-00-003-08		24,00
2070-00-003-09		22,00
2070-02-105-13		60,00

D. The Department surrendered the following amount on 1.4.2018. However, audit order for acceptance of surrender of savings was not issued by Ministry of Finance.

2052-00-090-10	(₹ in thousand) 2,50,00
4216-01-112-01	1,00,00

E. Expenditure booked in the accounts for 2017-18 is as below:

	(₹ in thousand)
2052-00-090-10	18,10,00
2070-00-003-08	99,00
2070-00-003-09	1,60,00
2070-02-105-13	61,00
4070-00-003-02	1,98,00

Prepare head wise appropriation account for Department of Expenditure.

[17 marks]

3. (i) Explain the process of revision of pension cases. [6 marks]
(ii) What are the post payment checks exercised by CPAO for pension cases. [4 marks]

4. Classify the following transactions (upto Minor Head level) : [5x2=10 marks]

- (i) Receipt of fees for issue of certificate under WHO - GMP Scheme.
(ii) Repairs & restoration of damaged Government Residential Buildings on account of floods.
(iii) Interest received on ways & means advances.
(iv) Share of profits from Life Insurance Corporation of India.
(v) Investment of Deposits of U.S. Counterpart Funds.

5. Write short notes on **ANY TWO** of the following: [2x5=10 marks]

- (i) Letters of credit against assignment accounts
(ii) Types of contingent charges.
(iii) Lapsed Deposits.

6. (i) Explain the criteria for classification and accounting of following transactions :
- (a) pertaining to more than one Major Head of Account with one example.
 - (b) pertaining to Scheduled Areas.
 - (c) recoveries of over payments [2+1+1=4 marks]
- (ii) Write in brief about : [2x3=6 marks]
- (a) Proforma Accounts
 - (b) Journal & Ledger
7. Please explain - [3+3+4=10 marks]
- (i) Principles governing procedure for accounting of expenditure met from Reserve Funds.
 - (ii) Method of accounting applied to Reserve Funds.
 - (iii) Checks to be exercised by PAOs in respect of Medical Reimbursement Bills.